UPUN010041132025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, उन्नाव
पीठासीन अधिकारी का नाम–वाणी रंजन अग्रवाल
आई0 डी0 नं0–यूपी 5674
जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1711/2025

छोटू पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम मौलवी खेड़ा मजरा मदारपुर कैलई थाना आसीवन जिला उन्नाव।

————————अभियुक्त।

प्रति

राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उन्नाव। ————————अभियोगी।

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र

16.06.2025

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त छोटू की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–49/2025 धारा–305,317(2)BNS थाना–माखी, ज़िला उन्नाव के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना–पत्र समर्थित शपथ–पत्र मे अभियुक्त की ओर से यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का सत्र न्यायालय में प्रथम प्रार्थना पत्र जमानत है इसके पूर्व न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय से न तो खारिज हुआ है और न ही पेंडिंग है।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादी मुकदमा जियालाल की ओर से एक तहरीर सम्बन्धित थाने पर दि0 27.02.2025 को इस आशय की दर्ज करायी गयी कि दिनांक 26/27.02.2025 की रात में उसके घर के अन्दर घुसकर कुछ अज्ञात चोरों द्वारा उसके इनवर्टर की बैट्री चुरा लिया गया है जिसका रंग सफेद व ऊपर ढक्कन लाल रंग का है। उसी रात उसके गांव के भईयालाल का रिफेक्स बाल भी चोरों द्वारा घर के छत से चुरा लिया गया है। अतः रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही की जाये। उक्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या–49/2025 धारा–305BNS पंजीकृत हुआ। अभियुक्त अभिरक्षा में है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त को रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से है। सह अभियुक्त की जमानत स्वीकृत हो चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त के पास से दर्शित बरामदगी फर्जी है। फर्द बरामदगी में किसी स्वतन्त्र गवाह का होना नहीं कहा गया है। प्रार्थी/अभियुक्त लगभग 3 माह से कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः उक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किया जाये।

विद्वान ज़िला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान ज़िला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है कि अभियुक्त के कब्जे से चोरी की बैटरी बरामद होने का कथन किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में पंजीकृत करायी गयी है। गिरफ्तारी व बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। सह अभियुक्त की जमानत स्वीकृत हो चुकी है। अभियुक्त दि0 28.02.2025 से अभिरक्षा में है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियो मे गुण दोष के आधार पर कोई विचार व्यक्त किए बिना अभियुक्त को कुछ शर्तो के साथ जमानत पर छोड़े जाने का संतोषजनक आधार है।

आदेश

अभियुक्त छोटू की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1711/2025 निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकार किया जाता है।

1. अभियुक्त की ओर से मु0–50,000/–रूपये का स्वबंधनामा तथा समान राशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाए।

2. अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा साक्षीगण पर बेजा दबाव नहीं डालेगा।

3. दौरान विचारण साक्षीगण को प्रभावित करने का प्रयास नही करेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधियो में संलिप्त नही होगा।

(वाणी रंजन अग्रवाल)
सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।
दि0 16.06.2025

Digitally signed by Vani Ranjan Agrawal
Date: 2025.06.16 17:17:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court